20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

77 16 1

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्र.क्र.- /2016 R-3790-I-16

29 AUG 2016

बिन्दे तनय मुन्नू साहू आयु 65 साल नि. ग्राम खेरी (कुड़राई) तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र. ----- निगराकार

बनाम

1- कमली पत्नि सुकला अहिरवार निवासी खेरी तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र.

2-शासन म.प्र. द्वारा कलैक्टर टीकमगढ़

-----प्रतिनिगराकारगण

27-10-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू रा.सं. 1959

निगरानी प्रतिकूल विद्वान अधिनस्थ अधिकारी राजस्व निरीक्षक खरगापुर तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के राजस्व प्र.क्र. 12/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27.5.15 के विरुद्ध ।

महोदय

निगरानी के प्रमुख आधार निम्न प्रकार से है :-

1- यह कि विद्वान अधिनस्थ राजस्व निरीक्षक खरगापुर द्वारा पारित आदेश विधि तथ्यों एवं वास्तविक नियम कानून के विपरीत है जिसमें प्राथमिक रूप से कानूनी भूल त्रुटि गोचर होती है।

2- यह कि अधिनस्थ अधिकारी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3790-एक/2018 | बिन्दे विरूद्ध कमली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक बिन्दे की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर के सीमांकन आदेश दिनांक 27-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित (REMAND) किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 26-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.x.18 (आर.के. जैन) सदस्य	